पटना में दिनांक–17 जुलाई, 2015 शुक्रवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

1. बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा वर्ष 2013 में संविदा के आधार पर नियोजित छः पुराभिलेखपालों का दिनांक–16.04. 2015 से अगामी एक और अतिरिक्त वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. 12 अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा के आलोक में रू० 2,47,42,131/–(दो करोड़ सैंतालीस लाख बयालीस हजार एक सौ इकतीस) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 24 (चौबीस) पदों के सृजन। — 2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. गया न्यायमंडल के अंतर्गत शेरघाटी और सुपौल न्यायमंडल के अंतर्गत वीरपुर में सब जज–I –सह–ए०सी०जे०एम० के न्यायालय के गठन हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा के आलोक में 23,90,882/–(तेईस लाख नब्बे हजार आठ सौ बेरासी) रूपये के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 02 (दो) पदों के सृजन। — 3. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

4. श्री अल्लामा मुख्तार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–987/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, अतरी, गया सम्प्रति निलंबित की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

6.	राज्य में दो इनक्युबेशन सेंटर की स्थापना हेतु ₹ 295 लाख (दो करोड़ पंचानवे लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 94 (चौरानबे) लाख मात्र विमुक्ति का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग
(हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)

7.	बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली –2015 की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग
(हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)

8.	बिहार हस्तकरघा तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली –2015 की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

9.	12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 18 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण एवं 46 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण हेतु क्रमशः केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कुल 2367.00 लाख एवं 763.75 लाख रूपये के अतिरिक्त वर्तमान अनुसूची दर के आधार पर प्राक्कलित राशि के अनुसार अन्तर राशि 1098.23 लाख रूपये अर्थात कुल 4228.98 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

10.	स्टाम्प ड्यूटी चुकाने हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध कराने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

11.	मुम्बई में महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कुर्ला स्थित भवन में 2000 वर्गफीट जमीन किराये पर ले बिहार पर्यटन सूचना केन्द्र एवं बिहार फाउन्डेशन का कार्यालय खोलने की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12. पटना जिलाधीन पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाई ओभर से चिरैयाटांड फ्लाई ओभर (भाया करबिगहिया) को जोड़ने हेतु पहुँच पथ एवं सर्विस पथ (दोनो तरफ) आदि कार्य सहित लगभग 1128m लम्बा 4–लेन उपरी पुल (Fly Over) का निर्माण कार्य कुल 12186.25 लाख (एक सौ इककीस करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. पथ प्रमंडल, मुंगेर के अन्तर्गत सुलतानगंज–तारापुर–बेलहर–कटोरिया–दर्दमारा पथ के कि०मी० 7.00 से 40.0 (कुल 34.00 कि०मी० पथ लंबाई मे) बचाव कार्य, ड्रेन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 4215.22 लाख (बेयालीस करोड़ पन्द्रह लाख बाईस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14. अररिया जिलाधीन अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत डुमरिया गाँव से दियारी के बीच दियारी घाट पर परमार नदी पर पहुँच पथ निर्माण, क्रॉस ड्रेन निर्माण, बचाव कार्य, डायवर्सन निर्माण एवं भू–अर्जन आदि कार्य सहित 11x18.75m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 4244.20 लाख (बेयालीस करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

14. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

15. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौंतीस करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र की राशि तथा भारत सरकार से वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) एवं वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹1134.59 करोड़ को छोड़कर शेष राशि क्रमशः ₹17781.46 करोड़ (एक खरब सतहत्तर अरब इक्यासी करोड़ छियालीस लाख रूपये) तथा ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि अर्थात कुल मिलाकर ₹21017.83 करोड़ (दो खरब दस अरब सत्रह करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को समान दर से वितरीत करने की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

16. कृषि वानिकी योजना के तहत कृषकों द्वारा निजी भूमि पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 26 वन प्रमंडलों के अन्तर्गत लगाये गये अन्य प्रजाति के पौधों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक उक्त कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल ₹ 2714.41 लाख (सत्ताईस करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 1209.39 लाख (बारह करोड़ नौ लाख उनचालीस हजार ₹) की स्वीकृति का प्रस्ताव।

16. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

17. कृषि वानिकी योजना के तहत कृषकों द्वारा निजी भूमि पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 26 वन प्रमंडलों के अन्तर्गत लगाये गये पॉपलर प्रजाति के पौधों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक उक्त कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल ₹ 2047.93 लाख (बीस करोड़ सैंतालीस लाख तिरानवे हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 915.03 लाख (नौ करोड़ पन्द्रह लाख तीन हजार ₹) की स्वीकृति का प्रस्ताव।

17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

18. भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–64 के तहत निर्देश मामलों (Reference Cases) की सुनवाई हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल–90 पदों का स्थायी सृजन। — **18.** स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन हेतु 6548.30 लाख रू० (पैंसठ करोड़ अड़तालीस लाख तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। इसकी कंडिका–02 एवं 04 में आंशिक संशोधन प्रस्तावित है। संशोधित संलेख की स्वीकृति के संबंध में :– — **19.** स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

20. शेखपुरा जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू० 4254.78 लाख (बेयालिस करोड़ चौवन लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **20.** स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

21. बिहार प्रवेश कर अधिनियम के कुशल प्रशासन एवं प्रभावी कर संग्रहण के लिए "बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993" में संशोधन। — **21.** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

22. वित्तीय वर्ष 2015–16 में "परवरिश" योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 2,50,00,000/–(दो करोड़ पचास लाख) मात्र के सहायक अनुदान तथा परवरिश योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2015 की स्वीकृति के संबंध में। — **22.** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

23. बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करने हेतु "बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली, 2015" की स्वीकृति के संबंध में। — **23.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. "बिहार फाईलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015" की स्वीकृति। — 24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. "बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015" की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

26. "बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" की स्वीकृति। — 26. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

27. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, कॉके, राँची को वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 7,11,99,300/–(सात करोड़ ग्यारह लाख निनान्वे हजार तीन सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के रूप में दिये जाने एवं व्यय की स्वीकृति। — 27. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

28. एम०जे०सी० संख्या–3373/2013 चितरंजन मुरारी प्रसाद वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.05.2014 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों को औपबंधिक रूप से उपदान की राशि रू० 11,51,072/–(ग्यारह लाख एकावन हजार बहत्तर) मात्र भुगतान की गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

29. काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान अराजपत्रित कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2015 की स्वीकृति के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

30. बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विशेष भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में "चिकित्सा भत्ता" शब्द को विलोपित कर विशेष भत्ता की देय राशि 2000 (दो हजार) से बढ़ाकर 5000 (पाँच हजार) रूपया करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

31. पटना जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 30 पर अवस्थित कच्चीदरगाह एवं वैशाली जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 6–लेन ग्रीनफिल्ड पुल (पुल की लंबाई: 9.76 कि०मी० एवं पहुँच पथों की कुल लंबाई 13.00 कि०मी०) का निर्माण कार्य कुल 429180.00 लाख (चार हजार दो सौ एकानवे करोड़ अस्सी) रूपये के अनुमानित लागत पर (एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऋणांश 300000.00 लाख रूपये तथा राज्य योजना शीर्ष से राज्यांश 129180.00 लाख रूपये) पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

विधि विभाग

32. राज्य के विभिन्न जिलों में 12 अनुमंडलीय न्यायालय यथा रक्सौल, हवेली–खड़गपुर, तारापुर, सोनपुर, मढ़ौरा, राजगीर, महनार, हथुआ, बलिया, तेंघड़ा, सिमरी–बख्तियारपुर एवं फारबिसगंज के लिए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल–456 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

34. राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में सी०सी०आई०एम० (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद) के न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्ड को पूरा करने के उद्देश्य से निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सौ शैय्या अस्पताल, उप प्राचार्य कार्यालय एवं चौदह विभागों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मियों, पारामेडिक्स एवं बाह्य श्रोत/(आउट सोर्शिंग) के पदों के सृजन के संबंध में। — 34. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

36. केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन "(नगरीय)" योजना में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए राज्यांश की अनुदान राशि 1333 रू० से बढ़ाकर 8000 रू० करने पर कुल–602.29 करोड़ रू० (छह सौ दो करोड़ उनतीस लाख रू०) प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 36. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

37. राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों का पेराई वर्ष 2014–15 के बकाये ईख मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिलों द्वारा राष्ट्रीकृत बैंकों से कुल 203.50 करोड़ रूपये तक लिये जाने वाले ऋण के लिए छः वर्षों में देय ब्याज की राशि मो० 77.22 करोड़ रूपये (सत्तहत्तर करोड़ बाईस लाख रूपये) को राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने संबंधित योजना की स्वीकृति। — 37. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

38. खरीफ विपणन मौसम 2014–15 के अन्तर्गत राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य खाद्य निगम को बैंकों से ऋण स्वरूप लिये गये कुल 400.00 करोड़ रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 38. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

39. सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 संख्या–5738 दिनांक–23.06.2011 की कंडिका–4 में यथा वर्णित 2.5 के अन्त में अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 55 वर्ष के स्थान पर 58 वर्ष के भीतर होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में। — 39. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

40. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,2005 के अन्तर्गत PSC/PCC Pole पर वैट की दर 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने के संबंध में। — 40. स्वीकृत।